

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना (पशुपालन)

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, अरवल

निविदा सूचना संख्या - 01/वर्ष 2018-19

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपदा (बाढ़-सुखाड़) पुर्वानुमान के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत बाढ़-सुखाड़ प्रभावित सभी प्रखण्डों में पशुओं को चारा की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्ताओं से दर/आपूर्तिकर्ता के निर्धारण के लिए मुहरबंद निविदा - आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपनी निविदा निबंधीत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कुरियर के माध्यम से जिला पशुपालन कार्यालय, अरवल (पिन कोड-804401) के पते पर भेज सकेंगे, या सीधे उक्त कार्यालय में रखी निविदा के बक्से में अपनी निविदा डाल सकेंगे। दिनांक- 25 मई 2018 अपराहन 4 बजे तक भौतिक रूप से उपलब्ध निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को पूर्वाहन 11:00 बजे में जिला पशुपालन कार्यालय, अरवल के कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आपूर्तिआदेश आवंटन के उपलब्धता के पश्चात आवश्यकतानुसार दिया जाएगा।

सामाग्रियों का विवरण

सूखा चारा गोहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल-नेवारी), चोकर, दाना

➤ निविदा की शर्त:-


1. सूखा चारा का दर तथा आपूर्तिकर्ता का निर्धारण सीलबन्द द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जायेगा। अलग-अलग सीलबन्द लिफाफा में तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अंकित कर एक बड़े सीलबन्द लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल निविदा हेतु लिखित होना चाहिए।
2. तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

➤ तकनीकी निविदा की शर्त:-

1. तकनीकी निविदा फर्म/प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ता का निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ वाणिज्य कर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन न0 एवं पैन कार्ड की छाया प्रति एवं फर्म का नाम कभी काली सूची में दर्ज नहीं है के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
2. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में मो0 5,000 (पांच हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल के पक्ष में देय होगा। तथा बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा अरवल पर भुगतये होगा, तकनीकी लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा में असफल घोषित निविदाता को उक्त ड्राफ्ट निर्णय के पश्चात तुरंत वापस कर दिया जायेगा।
3. निविदाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में मुहर बन्द हो एवं उस पर नाम पता तथा मोबाईल न0 अंकित कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। चारा फंगस रहित, नमी अधिकतम 3%, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण होना अतिआवश्यक है। नमूना में दिखाया गया सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। नमूना संतोषप्रद नहीं होने पर इसे अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगी चाहे निविदा दाता का दर न्यूनतम ही क्यों न हो।
4. सूखा चारा के गुणवत्ता की जाँच मानक के अनुरूप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से कराकर आपूर्तिकर्ता को देना होगा।

➤ वित्तीय की अन्य शर्तें :-

1. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप चारे की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे। एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी। तथा चारा की आपूर्ति की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी को देनी होगी।
2. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी रहेगी।
3. एक से अधिक निविदा दाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ऐसी स्थिति में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं को भी आपूर्ति आदेश दिया जा सकेगा।
4. निविदा समिति को बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. निविदा से संबंधित किसी भी वाद का निपटारा अरवल स्थित न्यायालय के अधीन होगा।
6. निविदा सूचना का वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in/www.arwal.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, अरवल से प्राप्त कर सकते हैं।


जिला पदाधिकारी
अरवल।